न्यायालयः विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–04 अजमेर

पीठासीन अधिकारी– तनुराग सिंह चौहान, आर जे एस
फौजदारी प्रकरण संख्या– 165/2021(1446/2018)
सी. आई एस. नम्बर– 11355/2018

सतीश अरोडा पुत्र श्री खानचन्द अरोडा, उम्र 39 वर्ष, निवासी अनपुम नगर, भोपो का बाडा, अजमेर राज.।

––परिवादी

बनाम

प्रकाश नायक पुत्र श्री भंवर लाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी 682/47, माली मौहल्ला, कुन्दन नगर, अजमेर राज.।

––अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा–138 एन. आई. एक्ट

उपस्थितः–
1. विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव जैन, परिवादी की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री फिरोज खान, अभियुक्त की ओर से।

– निर्णय–

दिनांक– 10–08–2026

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त ने परिवादी से अपनी निजी व घरेलू आवश्यकता के लिए उधार ली गयी राशि के उन्मोचन बाबत परिवादी के हक में एक चैक संख्या 224610, दिनांक 06.04.2018, राशि– 1,25,000/– रूपये

Authenticated Document

(अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार रूपये) का जारी किया, जिसे परिवादी द्वारा भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक "Funds Insufficient" के रिमार्क के साथ अनादरित किया जाकर परिवादी को लौटा दिया गया, जिस पर उक्त चैक अनादरण बाबत एक विधिक सूचना दिनांक 23–07–2018 को अभियुक्त को प्रेषित की गयी। इसके पश्चात अभियुक्त द्वारा राशि अदा नहीं किए जाने पर हस्तगत परिवाद परिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। परिवाद के तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया जाने पर दिनांक 04–09–2018 को धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया एवं दिनांक 16–07–2022 को आरोप सारांश की विशिष्टियां सुनायी व समझायी गयी, तो अभियुक्त ने आरोप सुन–समझकर अस्वीकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

02. परिवादी ने साक्ष्य के रूप में स्वयं का मुख्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विवादित चैक प्रदर्श पी 1, अमानतनामा प्रदर्श पी 2, चैक अनादरित मीमो प्रदर्श पी 3, विधिक नोटिस की प्रति प्रदर्श पी 4, पोस्टल रसीद प्रदर्श पी 5 तथा प्राप्ति स्वीकृति प्रदर्श पी 6 को प्रदर्शित करवाया गया।

03. इसके पश्चात अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 सी.आर.पी.सी. के तहत लेखबद्ध किए गए, जिसके तहत अभियुक्त ने कथन किया कि उसका परिवादी के प्रति कोई विधिक विधिक दायित्व नहीं बनता है। परिवादी ने उसके चैक का दुरुपयोग किया है। वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

04. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता परिवादी ने यह तर्क दिया कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 का अभियोग संदेह से परे साबित किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा विधिक नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। अभियुक्त ने विवादित चैक पर अपने हस्ताक्षर से इंकार नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग संदेह से परे साबित किया जा चुका है व अभियुक्त को कठोर से कठोर दण्ड दिए जाने का निवेदन किया।

05. वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस करते हुए निवेदन किया कि परिवादी पक्ष संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद साबित करने में विफल रहा है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क उठाया गया कि परिवादी बिना वैध लाईसेंस के आदतन पैसा उधार देता है, जो विधिवत वसूले जाने योग्य कर्ज की श्रेणी में नहीं आता। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि परिवादी द्वारा स्वयं की आईटीआर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए–

(1) अनिल बाबूराव कटारिया बनाम पुरूषोत्तम प्रभाकर कावणे
(B.H.C.) 2010 Cri L.J. 1217 (Bom H.C.)

(2) नन्दा बनाम नंद किशोर
(B.H.C.) 2010 (2) Man L.J. 823

06. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किए जाने के पश्चात न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है कि–

''आया अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व के भुगतान बाबत परिवादी को एक चैक संख्या– 224610, राशि– 1,25,000/– रूपये का दिया, जिस चैक को नियत समय अवधि के दौरान परिवादी ने अपने बैंक में प्रस्तुत किया परन्तु उक्त चैक "Funds Insufficient" के रिमार्क के साथ अनादरित हो गया तथा उक्त चैक के अनादरण की सूचना जरिए विधिक नोटिस परिवादी द्वारा अभियुक्त को देने के पश्चात भी अभियुक्त ने उक्त चैक में विदित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया?

यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है?''

07. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व समग्र दस्तावेज के अवलोकन से न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अभियोग के प्रकरण में न्यायालय

को सर्वप्रथम यह देखना होता है कि क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक उधार राशि पेटे या किसी विधिक दायित्व के उन्मोचन के लिए दिया गया था, जिसे परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर चैक अनादरित हो गया, जिसके पश्चात विधिक सूचना परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिए जाने के पश्चात भी अभियुक्त द्वारा उक्त राशि परिवादी को नहीं लौटायी गयी। इसी आधार पर परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो प्रदर्श पी 1 224610, दिनांक 06.04.2018, राशि– 1,25,000/– रूपये को परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर उक्त चैक दिनांक 05.07.2018 को अनादरित हो गया। इसके पश्चात परिवादी द्वारा अभियुक्त को जरिए विधिक नोटिस सूचित किया गया, जिसकी प्रति प्रदर्श पी 4 है, जिसकी पोस्टल रसीद प्रदर्श पी 5 पर दिनांक 23.07.2018 अंकित है। प्रदर्श पी 06 प्राप्ति स्वीकृति रसीद है, जिस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। न्यायालय के समक्ष हस्तगत परिवाद दिनांक 04.09.2018 को प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में न्यायालय यह पाता है कि परिवादी द्वारा सर्वप्रथम चैक तीन माह के भीतर बैंक में प्रस्तुत कर दिया गया था। उसके पश्चात दिनांक 05.07.2018 को उक्त चैक अनादरित होने पर 30 दिवस के भीतर दिनांक 23.07.2018 को विधिक नोटिस अभियुक्त को प्रेषित कर दिया गया था, जिसकी प्राप्ति स्वीकृति रसीद प्रदर्श पी 06 पर यद्यपि कोई दिनांक अंकित नहीं है परंतु इसमें भवरलाल के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात अभियुक्त द्वारा 15 दिवस के भीतर राशि अदा नहीं करने के पश्चात परिवादी द्वारा दिनांक 04.09.2018 को परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यद्यपि प्राप्ति रसीद पर कोई दिनांक अंकित नहीं है परंतु उक्त नोटिस अजमेर के 682/47, माली मौहल्ला, कुन्दन नगर, अजमेर राज. में प्रेषित किया गया था, जिसकी डाक रसीद प्रदर्श पी 5 के रूप में संलग्न है। अतः इस संबंध में न्यायालय का यह मानना है कि आमतौर पर एक ही जिले में भेजा गया कोई पत्र डाक विभाग द्वारा तीन से सात दिवस के भीतर संबंधित व्यक्ति को पहुंचा दिया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत न्यायालय विवेकानुसार सामान्य एवं लोक कार्य प्रणाली के संबंध में संभाव्य अनुमान करने में सशक्त है। न्यायालय के मत में जहां अजमेर से प्रेषित किया गया पत्र अजमेर के ही किसी क्षेत्र में भेजा गया हो,

तो यह सामान्य तौर पर एक सप्ताह के भीतर पहुंच गया होगा। इस संबंध में धारा 27 General Clauses Act, 1897 में यह प्रावधानित है कि जब तक अन्यथा साबित न किया जावे, यह माना जाएगा कि डाक द्वारा भेजा गया दस्तावेज तब प्राप्त हो गया, तब वह सामान्य डाक प्रक्रिया में प्राप्त हो जाना चाहिए था। इस संबंध में यदि हम यह भी मान लें कि दिनांक 23.07.2018 को प्रेषित किया गया नोटिस अधिकाधिक सात दिवस में अभियुक्त के सही पते पर पहुंचा गया होगा, उसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 6 है। ऐसी स्थिति में दिनांक 23.07.2018 से डाक प्रेषित हो जाने पर दिनांक 30.07.2018 से 15 दिवस के भीतर अभियुक्त द्वारा राशि परिवादी को अदा नहीं की गयी, जिसके पश्चात दिनांक 14.08.2018 को वाद हेतुक उत्पन्न होने पर परिवादी द्वारा हस्तगत परिवाद दिनांक 04.09.2018 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

08. इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी ने विवादित चैक अभियुक्त के द्वारा उसके विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे दिया जाना बताया है। अभियुक्त ने अपने बयानों में विवादित चैक पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार नहीं किया है। ऐसे में चैक प्रदर्श पी 01 पर मुल्जिम के हस्ताक्षर होना स्पष्ट है। इस संबंध में संबंधित विधि का अध्ययन करें तो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–118 में यह उपधारणा है कि कोई भी चैक यदि परक्रमित होता है तो वह किसी प्रतिफल के आशय से ही होता है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जहां अभियुक्त विवादित चैक पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार कर लेता है, वहां परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अधीन न्यायालय यह वैधानिक उपधारणा करेगा कि उक्त चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में किसी विधिक देयता अथवा ऋण के निर्वहन हेतु जारी किया गया था। उक्त उपधारणा का लाभ परिवादी को तब तक प्राप्त रहेगा, जब तक कि अभियुक्त संभावनाओं की प्रबलता (preponderance of probabilities) के मानदंड पर इसके विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत कर इस उपधारणा का सफलतापूर्वक खंडन नहीं कर देता। उक्त उपधारणा को खण्डित करने के लिए अभियुक्त को स्वयं को साक्ष्य के रूप में परीक्षित करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अभियुक्त उक्त धारणा का खण्डन ''सम्भावना बाहुल्यतः'' द्वारा कर सकता है,

परन्तु यह खण्डन ठोस होना चाहिए न कि मात्र परिवादी के कथनों का केवल प्रत्याख्यान होना चाहिए।

09. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी द्वारा बहुत से लोगों को ऋण उधार दिया गया है, जिस कारणवश परिवादी मनी लेडर की परिभाषा के अंतर्गत आता है व उसके पास साहूकार का लाईसेंस न होने के कारण परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिया गया ऋण वसूले जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया कि उसके द्वारा धारा 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.04.2026 प्रस्तुत किया गया था, जिसके साथ परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए एन.आई. एक्ट प्रकरणों की सूची संलग्न की गयी थी व जिस संबंध में तर्क दिया गया कि परिवादी द्वारा उक्त सूची के संबंध में कोई बचाव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत एन.आई. एक्ट प्रकरणों की सूची पत्रावली पर प्रस्तुत जरूर की गयी है परंतु इस संबंध में कोई ठोस संपुष्टिकारक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जो अभियुक्त की कहानी को बल प्रदान करता हो। परिवादी गवाह से जिरह के दौरान प्रश्न किए जाने पर उसके द्वारा उत्तर दिया गया था कि हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त उसके द्वारा संस्थित दो–तीन अन्य परिवाद वर्तमान में लंबित है व इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरण समाप्त हो चुके हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाया गया, जिससे यह साबित हो सके कि परिवादी द्वारा निरंतर साहूकार के रूप में कार्य किया जाकर समाज में ब्याज पर ऋण दिया जाता रहा हो।

10. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क उठाया गया कि परिवादी द्वारा स्वयं की आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं की गयी है व जिस कारण परिवादी की आर्थिक क्षमता पर प्रश्न उठता है तो उपरोक्त तर्क के संबंध में न्यायालय के मतानुसार जहां न्यायालय धारा 139 के तहत यह उपधारणा करता है कि चैक धारक को चैक किसी ऋण अथवा विधिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए चैक प्राप्त हुआ है, वहां प्रथमतः परिवादी पर स्वयं की आर्थिक क्षमता साबित करने का भार तब तक नहीं रहता है जब

तक अभियुक्त न्यायालय के समक्ष खंडन के रूप में यह संदेह उत्पन्न न कर देवे कि परिवादी द्वारा विवादित राशि उधार देने की आर्थिक क्षमता वास्तविकता में थी या नहीं। उपरोक्त संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Tedhi Singh vs. Narayan Dass Mahant (2022) 6 SCC 73 में यह भी प्रतिपादित किया है कि:–

The Hon'ble Supreme Court of India has held that it cannot be expected of the complainant to initially lead evidence to show that he had the financial capacity. However, the accused has the right to demonstrate that the complainant in a particular case did not have the financial capacity to lend the loan. The same can be done by accused by producing independent materials, namely, by examining his witnesses and producing documents, by pointing to the materials produced by the complainant himself, or through the cross examination of the witnesses of the complainant.

पत्रावली पर उपलब्ध आये साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त उक्त उपधारणा का खंडन करने में अक्षम रहा है, जिस स्थिति में परिवादी की आर्थिक क्षमता पर संदेह उत्पन्न नहीं हुआ है।

11. जहां तक अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा न्यायिक दृष्टांत अनिल बाबूराव कटारिया बनाम पुरूषोत्तम प्रभाकर कावणे (B.H.C.) 2010 Cri L.J. 1217 (Bom H.C.) व नन्दा बनाम नंद किशोर (3) (B.H.C.) 2010 (2) Man L.J. 823 प्रस्तुत किए गए हैं तो इस संबंध में उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किए जाने पर न्यायालय यह पाता है कि उक्त दोनों न्यायिक निर्णय के तथ्यों के अनुसार स्वयं परिवादी द्वारा यह स्वीकार गया था कि उसके द्वारा राशि उधार दिए जाने का कार्य किया जाता रहा है व इस संबंध में उसके द्वारा साहूकार अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। हस्तगत प्रकरण के तथ्य उक्त निर्णय के तथ्यों से भिन्न हैं क्योंकि अभियुक्त यह साबित करने में विफल रहा है कि परिवादी एक साहूकार हो व उसके द्वारा निरंतर ब्याज पेटे लोगों को ऋण दिया जाता रहा हो।

Authenticated Document

12. इस प्रकार पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन करें तो अभियुक्त द्वारा उसके विरुद्ध ली गई धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा का किसी सुदृढ़ साक्ष्य से खण्डन नहीं किया जा सका है तथा अभियुक्त पक्ष परिवादी पक्ष की जिरह का खण्डन करने में विफल रहा है एवं पृथक से अभियुक्त पक्ष की ओर से ठोस मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे संभावना की प्रबलता की हद तक यह प्रकट हो कि अभियुक्त द्वारा चैक अनादरण का अपराध नहीं किया गया है जबकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से एवं मौखिक साक्ष्य से धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आवश्यक अवयव पूर्णतः युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है, जिससे हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित होता है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को कुल राशि 1,25,000/– रूपये उधार दी गयी थी, जिसके भुगतान पेटे अभियुक्त ने परिवादी को विवादित चैक संख्या 224610 प्रदर्श पी 1 दिया था, जिसे भुगतान हेतु परिवादी द्वारा अपने बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक बिना सिकरे ही "Funds Insufficient" के रिमार्क के साथ अनादरित होकर पुनः लौट आये, जिसकी सूचना परिवादी ने अभियुक्त को नियत समयावधि में जरिए विधिक नोटिस दी तथा सूचना भेजे जाने के बावजूद भी अभियुक्त ने चैक संख्या 224610 प्रदर्श पी 1 में विदित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य पाया जाता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मनोज भाई जेठा भाई परमार बनाम गुजरात राज्य की पालना में गवाहान व प्रदर्शित दस्तावेजात का चार्टः–

अ–परिवादी गवाह

Rank	Name	Nature of Witness
पी.डब्लू. 1	सतीश अरोडा	परिवादी

Authenticated Document

ब– परिवादी पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज

क्रम संख्या	**दस्तावेज का विवरण**	**प्रदर्श**
01.	मूल चैक संख्या 224610	प्रदर्श पी 1
02.	अमानतनामा	प्रदर्श पी 2
03.	चैक अनादरित मीमो	प्रदर्श पी 3
04.	विधिक नोटिस की प्रति	प्रदर्श पी 4
05.	पोस्टल रसीद	प्रदर्श पी 5
06.	प्राप्ति स्वीकृति	प्रदर्श पी 6

स– बचाव गवाह

Rank	Name	Nature of Witness
––	––	––

द– अधिवक्ता अभियुक्ता की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजः–

क्रम संख्या	**दस्तावेज का विवरण**	**प्रदर्श**
––	––	––

<u>–आदेश–</u>

13. अतः अभियुक्त प्रकाश नायक पुत्र श्री भंवर लाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी 682/47, माली मौहल्ला, कुन्दन नगर, अजमेर राज. को धारा 138 परक्म्य लिखत अधिनयम के अपराध के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(तनुराग सिंह चौहान)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
एन.आई.एक्ट प्रकरण सं. 04, अजमेर

Authenticated Document

– सजा के प्रश्न पर –

14. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त आदतन अपराधी नहीं है। उसका यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई गम्भीर अपराध नहीं है, जो आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय है। ऐसी स्थति में अभियुक्त पर नरमी का रुख अपनाया जाकर उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाए। दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की।

15. उभयपक्षों के तर्कों का मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध साबित हुआ है तथा वर्तमान में चैक अनादरण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध होने के परिणामस्वरूप निम्न दण्ड से दण्डित करना उचित प्रतीत होता है।

– दण्डादेश –

16. अभियुक्त प्रकाश नायक पुत्र श्री भंवर लाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी 682/47, माली मौहल्ला, कुन्दन नगर, अजमेर राज. को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दोषसिद्धि की अवस्था में 03 माह का साधारण कारावास तथा न्यायिक दृष्टांत आर. विजयन बनाम बेबी व अन्य 2012 SUPREME COURT Of India 528, में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में 1,85,000/– (अक्षरे एक लाख पचासी हजार रूपये) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त जुर्माना राशि बाद गुजरने मियाद अपील न्यायालय में जमा की जावे। पूर्व में अदा की गई राशि, यदि कोई हो तो, उसको समायोजित किया जाए। अदम अदायगी जुर्माना राशि अभियुक्त को 10 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगताया

जावे।

17. अभियुक्त के अदालत में हाजिर होने के पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

18. न्यायिक दृष्टांत आर. विजयन बनाम बेबी व अन्य 2012 SUPREME COURT Of India 528 में प्रतिपादित मार्गदर्शन के अनुसार अभियुक्त द्वारा जमा की गई जुर्माने की राशि में से 1,85,000/– (अक्षरे एक लाख पचासी हजार रूपये) धारा 357(1)(बी) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार बतौर प्रतिकर परिवादी को अदा किए जावे।

19. अभियुक्त द्वारा पूर्व में व्यतीत न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा की अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मूल सजा में समायोजित किया जावे। नियमानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे। निर्णय की एक प्रति ई कोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाए। इस निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अभियुक्त को प्रदान की जावे।

20. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके, धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत आगामी छः माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे

(तनुराग सिंह चौहान)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
एन.आई.एक्ट प्रकरण सं. 04, अजमेर

21. निर्णय आज दिनांक 10–08–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(तनुराग सिंह चौहान)
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,
एन.आई.एक्ट प्रकरण सं. 04, अजमेर

Authenticated Document

RAMJAN BHUTTA
Steno Gr III "Authenticate Document"
Digitally signed by RAMJAN BHUTTA
Date: 2026.08.10 17:37:00 +0530